

फार्म

24

अचल संपत्ति विवरणका वर्ष 2016-17

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विक्रय वर्ष 2016

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह
 2. वर्तमान धारित पद जूनियर जे.ए. कार्यालय का नाम जे.ए. 2001/4/1007-4
 4. वर्तमान वेतन 11630/4/1007-4
 6. कर्मचारी संख्या 4444470

उस जिले, उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थिति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यारे	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मण्डल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीदा, ***पट्टा बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा।	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1. उमरिया (जिला) जिला जे.ए. तह. जे.ए. जे.ए.	- निर	0.65 डिक्विफिल 550000/-	स्वयं के नाम पर	पट्टा	100000/-	
2. जिला उमरिया तह. मानपुर जिला उमरिया (म.प.)	- निर	0.35 डिक्विफिल 550000/-	स्वयं के नाम पर	खरीदा मण्डल वर्ष 2011 स्वयं के नाम पर भेंट की गयी जिला उमरिया तह. मानपुर (म.प.)	50000/-	

हस्ताक्षर *Jitendra*
 नाम Jitendra Kumar Singh
 पद जे.ए.

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी:- मण्डल द्वारा ग्राह्य मण्डल शासकीय सेबक (आचरण) नियम 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 माह के पश्चात यह घोषणा पत्र प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वमित की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल)।